

# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 19/2026 बउनवानी ज्वाला सिंह मीना बनाम तहसीलदार बामनवास  
निवासी टोकसी तहसील सवाईमाधोपुर

Appeal Number- 3216337482799516

GCMS No-2026/ 12


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुकम  
11.2.2025

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 23.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " रंगलाल पुत्र धन्नी जाति मीना कही सजरा खानदान रिपोर्ट की प्रमाणित सूचना " तहसीलदार बामनवास से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./2026/203 दिनांक 28.01.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12..2025 मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बामनवास के पत्रांक/भू.अ./2025/4182 दिनांक 26.11.2025 द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.12..2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास के पत्रांक/भू.अ./2025/4182 दिनांक 26.11.2025 द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

  
( काना राम )  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर